



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042023-245014
CG-DL-E-08042023-245014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1590]
No. 1590]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

का.आ. 1669(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.5187(अ) दिनांक 7 नवम्बर, 2022, जो भारत के राजपत्र सं. 4968 दिनांक 7 नवम्बर, 2022, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में एनएच-207 (नया एनएच 648) के किमी 3.00 से किमी 9.350 तक बगलूर बाईपास का निर्माण तक के भूखण्ड पर निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23 नवंबर 2022" को "इंडियन एक्सप्रेस" और "दिनाकरन" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में एनएच-207 (नया एनएच 648) के किमी 3.00 से किमी 9.350 तक बगलूर बाईपास का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: कृष्णागिरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: होसुर				
	गांव का नाम: एचांगुर				
1	35/1	निजी	ड्राई	0.2946	मुनियाम्मा पत्नी मुनियप्पा (35/1बी)
2	42/2A	निजी	वेट	0.03	शंकर रेड्डी पुत्र कुपली रेड्डी (42/2ए)
	गांव का नाम: कोडीयालम				
3	178/11	निजी	वेट	0.1223	1. एन. कृष्णा रेड्डी पुत्र के.टी. नंजुंदा रेड्डी 2. एन. गोपाला रेड्डी पुत्र के.टी. नंजुंदा रेड्डी 3. एन. सिनिवास रेड्डी पुत्र के.टी. नंजुंदा रेड्डी 4. नंजुंदा रेड्डी पुत्र पेठा थिम्मा रेड्डी (178/11बी)
	गांव का नाम: कोथापल्ली				
4	18/18	निजी	ड्राई	0.0396	1. सुमित्रा पुत्री अंजनेया 2. कुंदन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (18/18ए)
5	2/8	निजी	ड्राई	0.128	गोपाल पुत्र (स्वर्गीय) राजप्पा (2/8बी)
			कुल	0.6145	

[फा. सं. RW-MD/TN/NH-207/DPR/2018/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2023

S.O. 1669(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5187(E) dated 7th November, 2022, published in the Gazette of India No. 4968 dated 7th November, 2022 Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of Bagalur Bypass from Km 3.00 to Km 9.350 of NH-207 (New NH-648) in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Indian Express” and “Dinakaran” both dated 23 November 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling for Construction of Bagalur Bypass from Km 3.00 to Km 9.350 of NH-207 (New NH-648) in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU		District: KRISHNAGIRI			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hosur				
	Village: Eachangur				
1	35/1	Private	Dry	0.2946	Muniyamma W/o Muniyappa 35/1B
2	42/2A	Private	wet	0.03	Sankar Reddy S/o Koopli Reddy 42/2A
	Village: Kodiyaalam				
3	178/11	Private	wet	0.1223	1.N. Krishna Reddy S/o K.T. Nanjunda Reddy 2.N. Gopala Reddy S/o K.T. Nanjunda Reddy 3.N. Sinivasa Reddy S/o K.T. Nanjunda Reddy 4. Nanjunda Reddy S/o Petha Thimma Reddy 178/11B
	Village: Kothapalli				
4	18/18	Private	Dry	0.0396	1. Sumithra D/o Anjenaya 2. Kundan Agro Private Limited 18/18A
5	2/8	Private	Dry	0.128	Gopal S/o (Late) Rajappa 2/8B
			TOTAL	0.6145	

[F. No. RW-MD/TN/NH-207/DPR/2018/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.